

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  
सचिवालय परिसर, देहरादून  
संख्या-201 USDMA-792(2020)TC  
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2020


आदेश

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या-200/USDMA-792(2020)TC दिनांक 24 मई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के संदर्भ में हवाई अड्डों पर यात्रियों का कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मानक प्रचालन विधि (एसओपी) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है। पूर्व में प्रेषित अन्तर्राज्यीय उड़ानों के आवागमन हेतु एसओपी (मानक प्रचालन विधि) में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित किया जाता है :-

- 7.1 The Army, Air Force, Navy and other Para military forces shall make arrangements for quarantining their officers, personnel and family members, inbound from other states, subject to the condition that they shall be institutionally quarantined and not home quarantined. Their quarantine facilities shall meet the standards of MoHFW. The quarantine arrangements so made shall be duly intimated to state government/ District Nodal Officer on a regular basis.


उक्त समावेशित बिन्दुओं के आधार पर यथा संशोधित एसओपी (मानक प्रचालन विधि) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष आदेश तथा निर्गत दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

  
(उत्पल कुमार सिंह)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माओ मुख्यमंत्री को माओ मुख्यमंत्री महोदय के सज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डल आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. स्थानीक आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त सूचना एवं लोकसपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित गाई फाईल।

  
(उत्पल कुमार सिंह)  
मुख्य सचिव